

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियों।


—:: आदेश ::—

संशोधित वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131 'ध' में निहित प्रावधानों के तहत प्रत्येक अवसर पर ₹ 50,000/- (पचास हजार) रुपये से ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) तक की खरीदारी हेतु विभागीय क्रय समिति निदेशानुसार निम्नवत गठित की जाती है :—

1. आयुक्त के सचिव, — अध्यक्ष
पूर्णियों प्रमंडल, पूर्णियों।
2. जिला लेखा पदाधिकारी, — सदस्य
पूर्णिया।
3. महाप्रबंधक, — सदस्य
जिला उद्योग केंद्र, पूर्णियों।
4. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर से संबंधित सामग्रियों के क्रय के समय समिति के सहयोग हेतु तकनीकी सलाहकार के रूप में श्री श्याम मोहन दूबे, आईटी० प्रबंधक, आयुक्त कार्यालय, पूर्णियों को नामित किया जाता है।

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियों प्रमंडल, पूर्णियों।

प्रतिलिपि :— जिला लेखा पदाधिकारी, पूर्णियों / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, पूर्णियों / श्री श्याम मोहन दूबे, आईटी० प्रबंधक, आयुक्त कार्यालय, पूर्णियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


आयुक्त के सचिव,
पूर्णियों प्रमंडल, पूर्णियों।